

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक :- प.1(1)कार्मिक/निजी चिकि./31/2012/1753

दिनांक :- 4-9-12

कार्यालय आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा में विस्तार करते हुए निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा कुल देय बिल पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी :-

क्र.स.	चिकित्सालय का नाम एवं पता	दूरभाष/मोबाईल नम्बर
1.	विश्वनाथ हास्पिटल, 68/15, हल्दी घाटी मार्ग, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।	0141-2792290 / 9414054377
2.	सैफायर डेन्टल क्लिनिक, 113/16, कुम्भा मार्ग, नियर कम्युनिटी सेन्टर, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर	9950765090
3.	मैक्सीमा हार्ट इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर, डी-78, घीया मार्ग, बनीपार्क, जयपुर	0141-2281224 / 25 / 26 9829290388

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

34-
सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव सचिव/वि.स. एवं मु.ले.अ., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त-..... राजस्थान आवासन मण्डल,
5. आवासीय अभियन्ता खण्ड-, राजस्थान आवासन मण्डल,
6. संबंधित हॉस्पिटल
7. समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय)रा0आ0म0 जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

34-
सचिव